X संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी

इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और संचार में समयबद्धता के अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए, सोशल मीडिया और जन जागरूकता अभियानों सहित कई चैनलों के माध्यम से लोगों तक व्यापक पहुंच के अपने प्रयास को जारी रखते हुए अपनी संचार नीति 2.0 प्रकट की। आर्थिक और सांख्यिकीय नीति विश्लेषण और अनुसंधान को प्रखर किया गया और सूचना प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। भारत द्वारा 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। भारत की वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के समर्थन में भारतीय रिज़र्व बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टमस्(एनजीएफएस) में भी शामिल हो गया। सरकार की ओर से प्रभावी नकदी प्रबंधन और विदेशी मुद्रा भंडार के सुदृढ़ प्रबंधन के भी प्रयास किए गए। अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ और कुशल वित्तीय प्रणाली के लिए वांछित मजबूत कानूनी संरचना सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान वैधानिक पहल/संशोधन भी किए गए।

X.1 रिजर्व बैंक ने 16 जुलाई, 2021 को अपनी संचार नीति 2.0 जारी की। रिजर्व बैंक की संचार नीति का लक्ष्य अपने बहुआयामी उद्देश्यों का पारदर्शी संचार, स्पष्ट व्याख्या और सटीक अभिव्यक्ति है। इस वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंध और मजबूत किए गए। महामारी प्रवृत्त वातावरण में सरकार की प्रणाली को *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत करके सरकार को प्रभावी नकद प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के सम्मिलित प्रयास किए गए। व्यापक वैश्विक अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य में सुरक्षा, तरलता और पिछली स्थिति में वापसी आरक्षित विदेशी मुद्रा (एफईआर) के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहे। इस वर्ष के दौरान नीति निर्माण के लिए अनुसंधान इनपुट प्रदान करने और प्रमुख प्रकाशनों को समय पर जारी करने के अलावा कई प्रकार के समकालीन विषयों पर कई शोध अध्ययन भी किए गए। समुन्नत डेटा वेयरहाउस [अर्थात केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली, (सीआईएमएस)] के विकास का कार्य आरंभ करके और कई अन्य पहलों जैसे गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों और उन्नत सांख्यिकीय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीक के उपयोग से सूचना प्रबंधन प्रणाली को अधिक सुदृढ़ किया गया। इस वर्ष वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई संशोधनों/नए विधानों को शामिल किया गया।

X.2 उक्त पृष्ठभूमि के प्रति शेष अध्याय की आठ खंडों में संरचना की गई है। अगला खंड रिजर्व बैंक की संचार नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में की गई प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करता है। खंड 3 में रिजर्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा की गई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ पारस्परिक व्यवहार शामिल है। खंड 4 सरकारों और बैंकों के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक की गतिविधियों पर आधारित है। खंड 5 में आरक्षित विदेशी मुद्रा प्रबंधन के संचालन की समीक्षा की गई है। खंड 6 अनुसंधान गतिविधियों पर निर्धारित है जिसमें सांविधिक रिपोर्ट और अग्रणी शोध प्रकाशन शामिल हैं। खंड 7 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों की रूपरेखा बताता है जबकि खंड 8 विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। अंतिम खंड में निष्कर्ष दिया गया है।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.3 हाल के वर्षों में केंद्रीय बैंक का संचार केंद्रीय बैंक की नीतियों को प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने में प्रमुख मार्गदर्शक कारक बना है। केंद्रीय बैंक के संचार का लक्ष्य स्पष्टता और सटीकता सुनिश्चित करते हुए अब लोगों तक व्यापक पहुंच बनाने का है। केंद्रीय बैंकों को अब न केवल इस आधार पर कि वे क्या सूचना संप्रेषित करते हैं बल्कि इस आधार पर भी आंका जाता है कि वे इसे विविध श्रोताओं तक कैसे पहुँचाते हैं।

X.4 रिज़र्व बैंक[1] की संचार नीति 2.0 16 जुलाई 2021 को जारी की गई थी। रिज़र्व बैंक की संचार नीति प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और समयबद्धता के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करती है; यह अपने विविध कार्यक्षेत्र की परिधि में गतिविधियों की सार्वजनिक समझ में निरंतर बेहतरी का प्रयास करती है। रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण सभी हितधारकों को तर्कसंगत और समर्थित सूचना के साथ विश्लेषण प्रदान करके अपनी नीतिगत अवस्थिति और उभरती स्थिति के बारे में अपने आकलन को संप्रेषित करना है। रिजर्व बैंक की संचार नीति का लक्ष्य[2] इसके बहुआयामी उद्देश्यों का पारदर्शी संचार, स्पष्ट व्याख्या और सटीक अभिव्यक्ति है। संयुक्त अधिदेश इसके प्रभावी कामकाज के लिए और साथ-साथ इसके नीतिगत साधनों की बढ़ती सीमाओं के पक्ष में खुले, स्पष्ट और संरचनागत संचार को आवश्यक बना देता है।

X.5 संचार नीति 2.0 संचार के उद्देश्य और सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, यह रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि नीति *(उत्कर्ष)* के साथ सम्बद्ध है और यह मौद्रिक नीति संचार (विशेष रूप से मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा विवेचना के बाद), वित्तीय स्थिरता संचार और संकट के समय संचार के साथ-साथ केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों द्वारा संचार पर जोर देते हुए संचार के अन्य चैनल के रूप में सोशल मीडिया को मान्यता देती है। इसके अलावा संचार नीति 2.0 पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी प्रगति, संचार के तरीकों में बदलाव और केंद्रीय बैंक संचार से संबंधित अन्य गतिविधियों को समाहित करती है।

X.6 भारतीय रिज़र्व बैंक जन जागरूकता पहलों के माध्यम से लक्षित दर्शकों[3] के आधार पर अनुकूलित संचार का प्रसार करता है और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में माइक्रोसाइट करता है। रिजर्व बैंक पारंपरिक और गैर-पारंपरिक माध्यमों से शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, वित्तीय बाजार प्रतिभागियों, बैंकरों, वित्तीय पत्रकारों और अन्य वित्तीय रूप से जानकार समुदायों तक पहुंचता है और आम जनता के साथ मजबूत संपर्क बनाए रखता है (बॉक्स X.I)।

[1] पहली संचार नीति 2008 में तैयार की गई थी जिसमें संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे परिपत्रों/अधिसूचनाओं/निर्देशों, नीति वक्तव्यों, प्रेस विज्ञप्तियों, सांविधिक प्रकाशनों और नीतिगत औचित्य एवं मंशा के साथ भाषणों और उनके अपेक्षित परिणामों को सम्बद्ध किया गया था।

[2] रिज़र्व बैंक की संचार नीति के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं: (i) अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों पर स्पष्टता; (ii) अपने नीतिगत उपायों में विश्वास कायम करना; (iii) पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार; (iv) मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता बढ़ाने और अनुचित अटकलों को कम करने के लिए सभी आर्थिक एजेंटों की अपेक्षाओं को स्थिर करना; (v) वित्तीय स्थिरता पर जागरूकता बढ़ाना; (vi) न्यूनतम समय अंतराल के साथ सूचना का प्रसार; (vii) प्रभावी संचार के माध्यम से समयबद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना और (viii) इस बहुभाषी और बहु-सांस्कृतिक समाज के साथ व्यवहार को सुदृढ़ करना।

[3] जैसे विनियमित संस्थाएं, शोधकर्ता, विश्लेषक, शिक्षाविद, रेटिंग एजेंसियां, मीडिया, अन्य केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय संस्थान, बाजार प्रतिभागी, सरकारी एजेंसियां और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, रक्षा कर्मियों और स्कूली बच्चों सहित जनता के सदस्य।

बॉक्स X.1
केंद्रीय बैंक की पहुँच तथा जन जागरूकता

लक्षित दर्शकों के आधार पर अनुकूलित संचार का प्रसार करने की अपनी नीति के अलावा रिज़र्व बैंक की संचार नीति 2.0 के व्यापक लक्ष्यों में से एक के अनुरूप रिज़र्व बैंक जन जागरूकता अभियानों से आम जनता तक पहुंचने के साथ-साथ ऐसे दर्शकों तक रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, मीडिया इंटरफ़ेस, अनौपचारिक कार्यशालाओं और सोशल मीडिया जैसे कई चैनलों के माध्यम से पहुँचता है। इनके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हित के लक्ष्य आधारित संचार भी जारी किए गए और रिजर्व बैंक की वेबसाइट के 'आरबीआई कहता है' पेज के तहत और यूट्यूब चैनल पर रखा गया है जो कि बैंकिंग नियमों और प्रथाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए शुरू की गई एक बहु-मीडिया और बहुभाषी सर्वोत्कृष्ट जन जागरूकता पहल है। जागरूकता अभियानों के आभासी तरीके भी जनता के बीच वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं, विशेषकर कोविड -19 की महामारी के दौरान।

नई पहल

वर्ष 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित कुछ प्रमुख पहलें कीं:

- रैप गीत के माध्यम से जागरूकता फैलाना जो कि लोगों को पहचान की चोरी जैसे साइबर अपराधों से अपनेआप को बचाते हुए डिजिटल रूप से लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के विरुद्ध लोगों को चेतावनी देने के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और भवानी देवी के साथ एक खेल प्रसारण चैनल के माध्यम से जुड़ना। प्रभाव को अधिकतम करने के लिए प्रसारण का समय ओलंपिक खेल आयोजनों के साथ किया गया था।
- वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 में एक रचनात्मक परिवर्तन देखा गया जब रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता के लिए अपने शुभंकर 'मनी कुमार' को एनिमेट किया।
- अपने शुभंकर 'मनी कुमार' के साथ एक एनिमेटेड डांस वीडियो और गीत के माध्यम से डिजिटल रूप से लेन-देन करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता पर जागरूकता फैलाना, जिसे टीवी चैनलों और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित किया गया था।
- "साइबर सुरक्षित कैसे रहें" यह संदेश फैलाने के लिए एक लोकप्रिय किड्स डांस शो के साथ सम्बद्ध होना।
- वित्तीय जागरूकता संदेश देने के लिए विभिन्न भाषाओं में *कौन बनेगा करोड़पति* जैसे लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम का प्रयोग करना ।

इन जन जागरूकता अभियानों के अलावा रिज़र्व बैंक लगातार अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति की निगरानी करता है और सोशल मीडिया पर प्रसारित व्यवस्थित दोतरफा संचार और जुड़ाव की परिकल्पना करता है।

स्रोत : आरबीआई

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

X.7 पिछले वर्ष विभाग ने *उत्कर्ष* के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

आरबीआई संग्रहालय का एक नया खंड जनता के लिए खोलना जो रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों और कार्यों के लिए समर्पित होगा(पैरा. X.8);

- बेहतर सूचना संरचना के साथ रिज़र्व बैंक की वेबसाइट को सशक्त करना (पैरा. X.9);
- महत्वपूर्ण विनियामक और बैंकिंग संबंधी मुद्दों पर स्थानीय मीडिया के लिए वर्चुअल/भौतिक कार्यशालाओं/सत्रों का संचालन जारी रखना (पैरा. X.10); तथा
- जनता के साथ जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों, सोशल मीडिया उपस्थिति और संचार के अन्य माध्यमों का उपयोग करना(पैरा. X.11-X.13)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

आरबीआई संग्रहालय का दूसरा चरण

X.8 कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित आरबीआई संग्रहालय के दूसरे चरण के लिए मानस दर्शन और प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। इसमें रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों पर आधारित प्रदर्शन प्रस्तुत होगा जैसे मुद्रा प्रबंधन, बैंकों के बैंकर, सरकार के बैंकर, वित्तीय बाजार, मौद्रिक नीति, विनियमन और पर्यवेक्षण,

विदेशी मुद्रा और भारतीय वित्तीय प्रणाली में रिजर्व बैंक की भूमिका।

रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में सुधार करना

X.9 रिजर्व बैंक की वेबसाइट को बदलने और फिर से डिजाइन करने का काम खुली और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद सौंपा गया है। रिजर्व बैंक की संशोधित और पुन: डिज़ाइन की गई वेबसाइट के 2022-23 में प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

स्थानीय मीडियाकर्मियों के लिए कार्यशाला

X.10 रिज़र्व बैंक स्थानीय मीडिया के साथ नियमित कार्यशालाएँ और चर्चाएं आयोजित करता है ताकि मीडियाकर्मियों को रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों से परिचित कराया जा सके। यह रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों की स्पष्ट समझ को बढ़ावा देता है और बदले में इसके विनियमों, नीतिगत कार्रवाइयों और निर्णयों पर बेहतर सूचनाप्रद रिपोर्टिंग को बढ़ावा देता है। सितंबर 2021 में हैदराबाद में स्थानीय मीडिया के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सोशल मीडिया कमांड केंद्र

X.11 विभाग ने सोशल और डिजिटल मीडिया पर रिजर्व बैंक से संबंधित संचार की निगरानी के लिए लगभग वास्तविक समय आधार पर एक सोशल मीडिया कमांड सेंटर स्थापित किया है। मीडिया निगरानी पर विशिष्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक लगातार अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति की निगरानी करता है और परिकल्पना करता है कि आगे चलकर सोशल मीडिया के साथ संरचनात्मक दोतरफा संचार और सम्बद्ध हो (सारिणी X.1)।

जन जागरुकता अभियान

X.12 रिज़र्व बैंक ने मीडिया चैनलों जैसे प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल, होर्डिंग्स और एसएमएस के माध्यम से समावेशी

सारणी X.1: सोशल मीडिया पर फॉलोइंग
(31 मार्च 2022 के अनुसार)

मंच	सोशल मीडिया हैंडल/ पेज का नाम	विमोचन का समय	फॉलोवरों/ सब्सक्राइबरों की संख्या
1	2	3	4
ट्विटर	i.@RBI	जनवरी 2012	15.70 लाख
	ii.@RBIsays	अगस्त 2019	1.13 लाख
यूट्यूब	Reserve Bank of India	अगस्त 2013	1.11 lakh
फेसबुक	i.@RBIsays	अगस्त 2019	5,526
	ii.@therbimuseum	फरवरी 2020	1,127
इंस्टाग्राम	@reservebankofindia	जनवरी 2022	9,381

स्रोत: आरबीआई

मास मीडिया जन जागरूकता अभियान चलाना जारी रखा। सिनेमा हॉल के माध्यम से अभियान को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रोके रखा गया। रिजर्व बैंक ने टेलीविजन पर उच्च प्रभाव वाले अनोखे कार्यक्रमों में भी भाग लिया, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), *कौन बनेगा करोड़पति* (केबीसी), यूरो कप, ओलंपिक, *कोन होनार करोड़पति* (केबीसी का मराठी संस्करण), *इवरु मीलो कोटेश्वरलु* (केबीसी का तेलुगु संस्करण) और दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो पर वर्षभर चलने वाला अभियान। जैसा कि पहले ही बॉक्स X.1 में बताया गया है, 2021 में रिज़र्व बैंक ने व्यापक जनता तक पहुंचने के लिए कुछ नई पहल भी शुरू कीं।

X.13 रिज़र्व बैंक सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन जागरुकता फैलाता है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तथा यूट्यूब।

अन्य पहल

संचार सेमिनार

X.14 इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन के लिए तीन संचार सेमिनार आयोजित किए गए। संचार सेमिनारों के उद्देश्य थे: (i) बाह्य संचार की बारीकियों पर वरिष्ठ प्रबंधन के साथ जुड़ना; (ii) क्षेत्रीय निदेशकों, बैंकिंग लोकपालों और प्रभारी

अधिकारियों को उनके कार्यात्मक या भौगोलिक क्षेत्राधिकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मीडिया सहित हितधारकों के साथ संवाद करने में सहायता देना; और (iii) वरिष्ठ प्रबंधन को संकट के समय संचार के लिए नीतियों और तकनीकों से लैस करना।

X.15 कार्यपालक निदेशकों के लिए काशीद, महाराष्ट्र में 7 अगस्त 2021 को एक संचार सेमिनार का आयोजन किया गया और 30 जुलाई और 20 दिसंबर 2021 को क्रमशः बेंगलुरु और अमृतसर में क्षेत्रीय निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/प्रभारी अधिकारियों और लोकपालों के लिए दो संचार सेमिनारों का आयोजन किया गया।

मीडिया से अनौपचारिक चर्चा

X.16 द्विमासिक अंतराल पर निर्धारित मौद्रिक नीति की घोषणा के दिन आयोजित सुनियोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा रिज़र्व बैंक प्रत्येक मौद्रिक नीति की घोषणा से कुछ दिनों बाद या जब भी इस तरह की भागीदारी आवश्यक महसूस हो, अनौपचारिक परिवेश में सुनियोजित रुप से मीडिया के साथ चर्चा आयोजित करता है। प्रमुख नीतिगत निर्णयों की पृष्ठभूमि समझाने, मीडियाकर्मियों से प्रतिक्रिया लेने और कार्यक्षेत्र संबंधी उनकी शंकाओं और चिंताओं को स्पष्ट करने के लिए 2021-22 के दौरान 16 ऐसी चर्चाएं हुईं।

भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइट

X.17 वर्ष के दौरान, फिनटेक विभाग और रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) के समन्वय से एक नई फिनटेक माइक्रोसाइट लाइव हुई।

X.18 वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग ने 1,953 प्रेस विज्ञप्तियां, 200 अधिसूचनाएं/परिपत्र, 16 मास्टर निर्देश जारी किए और शीर्ष प्रबंधन के 37 साक्षात्कार/भाषण, आरबीआई की छह रिपोर्टें, 10 वर्किंग पेपर, 1,026 निविदाएं और 97 भर्ती संबंधी विज्ञापन अपलोड किए।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

X.19 वर्ष 2022-23 के दौरान रिज़र्व बैंक के संचार माध्यमों को और सुदृढ़ बनाया जाएगा, और प्रयास किए जाएंगे कि:

बैंक की वेबसाइट में बेहतर सूचना संरचना के साथ सुधार किया जाए *(उत्कर्ष)*;

- इंस्टाग्राम जैसे अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आम जनता के साथ और अधिक जुड़ जाए और दो-तरफा संचार माध्यम के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर सुना जाए*(उत्कर्ष)*;
- संवादात्मक अभियानों के लिए चित्र, एनिमेशन और इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर जन जागरूकता संदेशों की परतें तैयार की जाएं ताकि अंतिम छोर तक जुड़ा जा सके;
- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर लक्षित मीडिया की निगरानी की जाए;
- रिज़र्व बैंक की आंतरिक और बाहरी संचार सामग्री को सरल बनाने की दिशा में लिखित संचार की शैली और उपयोग पर पुनर्विचार किया जाए तथा
- प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता अभियानों के असर का मूल्यांकन किया जाए।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.20 रिज़र्व बैंक ने 2021-22 के दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को और सुदृढ़ किया।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

X.21 विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जी20 के इंटरनेशनल फायनेंशियल आर्किटेक्चरल वर्किंग ग्रुप (आईएफएडब्ल्यूजी) से संबंधित

मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.22-X.23];

- भारत में आईएमएफ मिशन द्वारा आईएमएफ अनुच्छेद IV की निगरानी का सफलतापूर्वक समापन *(उत्कर्ष)* [पैरा. X.24];
- ब्रिक्स सहित विभिन्न पहलों के तहत कार्रवाई जारी रखी *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.25-X.28];
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों को समर्थन देना जारी रखें *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.29-X.30] और
- 2023 में अध्यक्षता पाने के लिए जी20 के साथ संबंधों को मजबूत करना (पैरा.X.31)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

आईएमएफ और आईएफए संबंधी मामले

X.22 विभाग ने जी20 आईएफए डब्ल्यूजी की बैठकों में भाग लिया और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल (जीएफएसएन) की पर्याप्तता और आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआरों) के नए सामान्य आवंटन से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्रदान की।

X.23 विभाग ने अप्रैल और अक्टूबर 2021 में आभासी तौर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की द्विवार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए जानकारी प्रदान की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और आईएमएफ के बीच एक नए नोट खरीद करार (एनपीए) 2020 पर हस्ताक्षर किए गए। यह एनपीए 2020 जो 3.9 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का है, 24 सितंबर 2021 से प्रभावी है।

X.24 महामारी को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2021 में आईएमएफ के साथ अनुच्छेद IV का कार्य आभासी प्रारूप में किया गया था। विभाग ने नियमित रूप से आईएमएफ के विभिन्न सर्वेक्षणों में भाग लिया जैसे कि विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंध (एआरईएईआर) पर वार्षिक रिपोर्ट, समष्टिगत विवेकपूर्ण नीति सर्वेक्षण और जलवायु जोखिमों एवं साइबर जोखिमों पर सर्वेक्षण। विभाग ने आईएमएफ के क्षमता वर्धन का आकलन करने के लिए आईएमएफ के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) सर्वेक्षण में भी भाग लिया।

X.25 विभाग ने रिजर्व बैंक के रुख को सुदृढ़ किया और वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआई) को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों पर जानकारी प्रदान की। विभाग ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ निकटता से काम किया और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से संबंधित विभिन्न द्विपक्षीय, एकाधिकपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए जानकारी प्रदान की।

X.26 विभाग ने, विश्व बैंक के भारत विकास सामयिकी 2021 के लिए जानकारी प्रदान की, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की संहिताओं पर सलाहकार कार्य बल (एटीएफसी) की बैठकों में भाग लिया और एशियाई विकास बैंक के एशियाई लघु और मध्यम आकार उद्यम अनुवीक्षण (एएसएम) 2021 को पूरा करने के लिए समन्वय का कार्य किया।

ब्रिक्स, सार्क तथा द्विपक्षीय सहयोग

X.27 वर्ष 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में रिज़र्व बैंक ने 2021 में ब्रिक्स केंद्रीय बैंक वर्कस्ट्रीम का नेतृत्व किया (बॉक्स X.2), जिसके कारण 9 सितंबर 2021 को आयोजित XIII ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं की नई दिल्ली घोषणा जारी हुई।

X.28 रिजर्व बैंक ने 2021 में आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) के आईएमएफ से जुड़े भाग का पहला परीक्षण किया और सीआरए एवं आईएमएफ के बीच समन्वय के लिए एक संरचना स्थापित करने की चर्चा शुरू की।

X.29 रिज़र्व बैंक ने तीन सार्क केंद्रीय बैंकों को कुल 1.05 बिलियन अमरीकी डालर की मुद्रा स्वैप सहायता प्रदान की।

बॉक्स X.2

ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता – आरबीआई की उपलब्धियां

वर्ष 2021 के दौरान भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कीं:

- वर्ष के दौरान वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी), वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनियोक्ताओं/प्रतिनिधियों (एफसीबीडी), सीआरए शासी परिषद (जीसी), सीआरए स्थायी समिति (एससी) और सीआरए तकनीकी और अनुसंधान समूहों की ब्रिक्स की कई उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं।
- सीआरए अनुसंधान समूह के तत्वावधान में *"नैविगेटिंग द ऑनगोइंग पैनडेमिक : द ब्रिक्स एक्सपीरियंस ऑफ रेज़ीलियंस एंड रिकवरी"* थीम के साथ दि ब्रिक्स इकॉनोमिक बुलेटिन 2021 प्रकाशित किया गया।
- वित्तीय क्षेत्र में हो रहे साइबर हमलों का मुकाबला करने में साइबर खतरों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान और अनुभव को साझा करके ब्रिक्स ने 2021 में अपने सहयोग को सुदृढ़ किया।
- वर्ष 2021 के दौरान "इंफोर्मेशन सेक्यूरिटी रेगुलेशन इन फायनेंस", "कंपेंडियम ऑफ ब्रिक्स बेस्ट प्रैक्टिसेज ऑन इंफोर्मेशन सेक्यूरिटी रिस्कस्: सुपरवीज़न एंड कंट्रोल", "ब्रिक्स डिजीटल फायनेंशियल इंक्लूज़न रिपोर्ट" विषय पर ब्रिक्स ई-बुक्लेट महत्वपूर्ण प्रकाशन थे।
- "सूचना सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण" पर 15 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- रिज़र्व बैंक ने कई पहल की हैं जिसमें "कोविड -19: हेडविंड्स एंड टेलविंड्स फॉर बीओपी ऑफ द ब्रिक्स" विषय पर ब्रिक्स का सहयोगात्मक अध्ययन और सीआरए के तहत आईएमएफ के साथ वार्ता शामिल है।
- ब्रिक्स भुगतान कार्यबल (बीपीटीएफ) ने ब्रिक्स देशों के बीच भुगतान प्रणालियों पर सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए 2021 में विभिन्न उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान बीपीटीएफ वार्षिक रिपोर्ट 2021 और सीआरए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई।

स्रोत : आरबीआई

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए सार्कफाइनांस छात्रवृत्ति योजना के तहत रिज़र्व बैंक ने मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/ संस्थान में उच्च अध्ययन के लिए चार उम्मीदवारों का चयन किया जिनमें से दो बांग्लादेश बैंक से और एक-एक रॉयल मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान और नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) से हैं। ।

X.30 एनआरबी द्वारा मेजबानी की गई चौथी संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति (जेटीसीसी) की बैठक आभासी रूप से 6 सितंबर 2021 को आयोजित की गई। बैठक में एनआरबी द्वारा मुद्रा प्रबंधन, टी-बिल में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली पर उठाए गए मुद्दों और विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा शामिल थी।

जी 20 तथा इसके कार्य दल

X.31 विभाग ने इतालवी और इंडोनेशियाई अध्यक्षता के अंतर्गत कार्यसूची के मदों के लिए अनुसंधान सारांश/ इनपुट प्रदान किए। 2023 की भारतीय अध्यक्षता से पहले दिसंबर 2021 से भारत जी 20 ट्रोइका में शामिल हो गया है।

अन्य गतिविधियां

बीआईएस गतिविधियां

X.32 विभाग ने विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया जिसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति (सीजीएफएस) सहित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के लिए बैंक की विभिन्न बैठकों में चर्चा किए गए मुद्दों पर आरबीआई के रुख को स्वरूप दिया।

X.33 विभाग ने विभिन्न बीआईएस सर्वेक्षणों में योगदान दिया जिसमें मूल्य स्थिरता से परे केंद्रीय बैंक के अधिदेश, महामारी के बाद के काम करने के तरीकों और जन जागरूकता और केंद्रीय बैंकों की धारणा को मापने के लिए जनमत सर्वेक्षण शामिल हैं। गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) और सरकारी बॉन्ड बाजारों के कामकाज विषय पर सीजीएफएस की कार्यशाला में रिज़र्व बैंक की भागीदारी का समन्वय भी विभाग ने किया। इसके अलावा विभाग ने बीआईएस बोर्ड और उसकी प्रशासनिक समिति से संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता और जानकारी भी प्रदान किया।

वैश्विक वित्तीय विनियमन संबंधी एफएसबी पहल

X.34 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की विभिन्न समितियों और कार्य दलों में भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए विभाग ने जानकारी तैयार की।

X.35 एफएसबी के क्षेत्रीय सलाहकार समूह, एशिया (आरसीजी-एशिया) की भारत द्वारा सह-अध्यक्षता में विभाग ने आभासी मोड में आरसीजीए की दो बैठकें आयोजित कीं। एनबीएफआई से वैश्विक रुझानों और जोखिमों का आकलन करने के लिए एफएसबी की वार्षिक निगरानी प्रक्रिया में योगदान दिया गया। विभाग ने एफएसबी द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों[4] के लिए भी जानकारी प्रदान की।

X.36 रिज़र्व बैंक 23 अप्रैल 2021 को नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम[5] (एनजीएफएस) में शामिल हुआ और विभाग ने इसके परिणामों के लिए किए गए प्रयास का नेतृत्व किया। रिज़र्व बैंक केंद्रीय बैंक के एक सदस्य के रूप में एनजीएफएस के कार्य में योगदान देता रहा है (बॉक्स X.3)।

X.37 विभाग अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता/बैठकों और विभिन्न अन्य द्विपक्षीय मुद्दों के लिए नोडल केंद्र है।

अन्य गतिविधियां

X.38 रिज़र्व बैंक ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) और दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) केंद्र के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी। बाहरी एजेंसियों द्वारा आईएमएफ के एसएआरटीटीएसी संचालन के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए विभाग ने सुविधा प्रदान की।

X.39 भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ जापान (बीओजे) के बीच तीसरे वरिष्ठ स्तरीय संवाद (एसएलडी) का आयोजन और मेजबानी 29 नवंबर 2021 को एक आभासी प्रारूप में की गई। दो केंद्रीय बैंकों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने, सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने और केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग को बल प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष एसएलडी आयोजित किया जाता है।

बॉक्स X.3

एनजीएफएस ग्लासगो घोषणा और भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता

सीओपी26 में योगदान के रूप में एनजीएफएस ने *"एनजीएफएस ग्लासगो घोषणा: कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध"* जारी किया, जिसमें इसने जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय जोखिमों के लिए वित्तीय प्रणाली की प्रतिरोधक्षमता में सुधार करने तथा एक स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर अंतरण का समर्थन करने के लिए भविष्य की योजनाएँ निर्धारित कीं।।

इसके साथ ही रिज़र्व बैंक ने 3 नवंबर 2021 को *भारत के लिए हरित वित्तीय प्रणाली के समर्थन में प्रतिबद्धता* भी प्रकाशित की। रिज़र्व बैंक व्यापक तौर पर एनजीएफएस घोषणा का समर्थन करता है। विशेष रूप से, भारत की वित्तीय प्रणाली की राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, प्राथमिकताओं और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, यह पता लगाने के लिए एक प्रतिबद्धता की गई है कि रिजर्व बैंक की निगरानी वाली संस्थाओं के तुलन पत्र और बिजनेस मॉडल में कमजोरियों की पहचान करने के लिए जलवायु परिदृश्य अभ्यास का उपयोग कैसे किया जा सकता है। साथ ही रिज़र्व बैंक जलवायु संबंधी जोखिमों को वित्तीय स्थिरता निगरानी में एकीकृत करने का प्रयास करेगा और विनियमित वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु संबंधी जोखिमों के बारे में जागरूकता भी फैलाएगा।

संदर्भ:

1. एनएफएस ग्लासगो डिक्लेरेशन : कमिटेड टू एक्शन, ग्लासगो, 3 नवंबर 2021।
2. आरबीआई, भारत के लिए हरित वित्तीय प्रणाली के समर्थन में प्रतिबद्धता की घोषणा – एनजीएफएस, 3 नवंबर।

[4] वित्तीय संस्थानों में जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए नियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण पर सर्वेक्षण, लीवरेज्ड ऋण की परिभाषाओं पर सर्वेक्षण, ओटीसी डेरिवेटिव में सुधारों के कार्यान्वयन पर सर्वेक्षण, कॉर्पोरेट ऋण वर्कआउट की विषयगत विद्वत समीक्षा और साइबर घटना रिपोर्टिंग पर सर्वेक्षण।

[5] एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो वित्तीय क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान करने के लिए तैयार है।

वर्ष 2022-23 की कार्यसूची

X.40 वर्ष 2022-23 के लिए विभाग निम्नलिखित उपलब्धियों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- जी20 के आईएफए डब्ल्यूजी के तहत मुद्दों सहित बहुपक्षीय संस्थानों के साथ गतिविधियों को बढ़ाना;
- जी20 की 2023 में भारतीय अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक एजेंडा के प्राथमिकताओं पर विचार करने, परिणामों/डिलिवरेबल्स का सुझाव देने और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित जी20 वित्त ट्रैक एजेंडा के लिए सलाहकार समूह में भागीदारी;
- भारत 1 दिसंबर 2022 को जी20 की अध्यक्षता संभालेगा और भारत सरकार के सहयोग से कई उच्च स्तरीय और कार्यकारी समूह की बैठकें आयोजित की जाएंगी;
- औपचारिक समझौता ज्ञापनों या अन्यथा माध्यमों से सार्क और अन्य देशों के लिए उद्ग्रासन(एक्सपोजर) दौरों और क्षमता निर्माण सहायता को बढ़ाना और
- गतिविधि के विभिन्न चैनलों के माध्यम से ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के सहयोग को मजबूत करना।

4. सरकारी और बैंक लेखा

X.41 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिज़र्व बैंक के आंतरिक लेखों की देखभाल और लेखांकन नीतियों के निर्धारण के अलावा बैंकों के बैंकर और सरकार के बैकंर के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों की देखरेख करता है।

वर्ष 2021-22 की कार्यसूची

X.42 पिछले वर्ष विभाग ने *उत्कर्ष* के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- ई-भुगतान और ई-रसीदों के लिए ई-कुबेर के साथ केंद्र और राज्य सरकार की प्रणालियों के एकीकरण की वर्तमान कार्य योजना को पूरा करना (पैरा.X.43) और
- ई-रसीदों और ई-भुगतान लेनदेन की स्वयं निगरानी करने के लिए सरकारों को डैशबोर्ड सुविधा प्रदान करना (पैरा.X.44)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

ई-भुगतान और ई-रसीदों के लिए ई-कुबेर के साथ केंद्र और राज्य सरकार की प्रणालियों के एकीकरण की वर्तमान कार्य योजना को पूरा करना

X.43 वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के समन्वय में केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली को सर्व सामान्य प्रयोग के लिए विस्तारित किया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को ई-पेमेंट के लिए ऑन-बोर्ड किया गया है और दो राज्य सरकारों के लिए परीक्षण पूरा कर लिया है और उनके जल्द ही ऑन-बोर्ड होने की उम्मीद है। दो अन्य राज्य सरकारें ई-कुबेर के साथ एकीकरण के लिए अपनी आंतरिक प्रणालियों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया में हैं।

ई-रसीदों और ई-भुगतान लेनदेन की स्वयं निगरानी करने के लिए सरकारों को डैशबोर्ड सुविधा प्रदान करना

X.44 यह सुविधा डिजाइन/विकास के उन्नत चरणों में है और इसे सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण पहल

अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में शामिल करना

X.45 वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नए या अतिरिक्त सरकारी कारोबार करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के बाद अनुसूचित

निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए अपने एजेंसी के तौर पर अधिकृत करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। 31 मार्च 2022 के अनुसार 31 एजेंसी बैंक हैं जिनमें सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (समामेलन के बाद) और 19 अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं जो रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी कारोबार कर रहे हैं।

जीएसटी फ्रेमवर्क में ऑनलाइन त्रुटि का ज्ञापन(एमओई) प्रक्रिया की सभी राज्य सरकारों को विस्तारण

X.46 वर्ष के दौरान जीएसटी लेनदेन के समन्वय के लिए ऑनलाइन एमओई प्रक्रिया को सात और राज्य सरकारों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तारित किया गया। 31 मार्च 2022 के अनुसार 14 राज्य सरकारों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन एमओई प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। इसके अलावा एक राज्य सरकार ने परीक्षण पूरा कर लिया है और जल्द ही इसके शुरु होने की उम्मीद है, नौ अन्य राज्य सरकारें परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं।

आईसीईजीएटीई के ई-पेमेंट गेटवे के साथ द्रुत चेक समाशोधन प्रणाली(ईसीसीएस) का एकीकरण

X.47 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीमा शुल्क भुगतान के लिए 1 जुलाई 2019 से रिजर्व बैंक का *ई-कुबेर* केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईजीएटीई) प्रणाली के साथ एकीकृत है। वर्ष के दौरान ईसीसीएस को अगस्त 2021 से आईसीईजीएटीई भुगतान गेटवे के माध्यम से ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया और इस प्रकार करदाताओं द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान विकल्प का उपयोग करके रिजर्व बैंक में रखे गए सीबीआईसी के खातों में सीधे आवश्यक शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सका।

ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) को सर्व सामान्य बनाना

X.48 जैसा कि फरवरी 2021 के केंद्रीय बजट भाषण में घोषित किया गया था और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 22 फरवरी 2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार टीएसए प्रणाली को महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय के समन्वय से सर्व सामान्य प्रयोग के लिए विस्तारित किया जा रहा है।

अन्य गतिविधियां

X.49 वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के माध्यम से खाता सत्यापन की सुविधा शुरू की गई थी और इसमें तीन राज्य सरकारों को शामिल किया गया है।

X.50 *ई-कुबेर* के माध्यम से सरकारों के लिए *आधार* भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) का उपयोग करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) भुगतान की सुविधा को सक्षम किया गया है और वर्ष के दौरान एक राज्य सरकार को शामिल किया गया है।

X.51 एक्सएमएल आधारित अधिसूचना के माध्यम से भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) में परिवर्तन का सरकारी प्रणालियों को प्रसार की सुविधा का परीक्षण किया जा रहा है जो ई-भुगतान के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत है।

X.52 एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) वेब-आधारित समन्वय प्रणाली प्रदान करने की सुविधा महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से कार्यान्वित की जा रही है।

X.53 रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) का कार्यालय सीजीडीए के स्पर्श [पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली (रक्षा)] के साथ ई-कुबेर के एकीकरण के माध्यम से भारत-नेपाल प्रेषण सुविधा के तहत नेपाल-निवासी पेंशनभोगियों को रक्षा पेंशन भुगतान को सक्षम करने की प्रक्रिया में है।

वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना

X.54 वर्ष 2022-23 के लिए विभाग *उत्कर्ष* के अनुसार निम्नलिखित कार्यसूची प्रस्तावित करता है:

- ई-कुबेर और सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के बीच एकीकरण के माध्यम से अंतर-सरकारी समायोजन सूचना सहित केंद्रीय सिविल मंत्रालयों द्वारा भुगतान (गैर-पेंशन) को बढ़ाना;

- पहले से ही ई-कुबेर के साथ एकीकृत राज्य सरकारों के ई-भुगतान लेनदेन (गैर-पेंशन) को बढ़ाना;
- प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित प्राप्तियों और एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग के लिए ई-रसीदों हेतु राज्य सरकारों का ई-कुबेर के साथ एकीकरण;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में शेष राज्य सरकारों को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना और
- एजेंसी बैंकों की ऑनबोर्डिंग ताकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के आईसीईजीएटीई पोर्टल के माध्यम से सीमा शुल्क प्राप्तियों को जमा किया जा सके।

5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन

X.55 रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी है और उस वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी है जो पहले से ही महामारी प्रवृत्त सदमे से उबरने के लिए संघर्ष कर रही थी। शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह संघर्ष मुख्य रूप से मुद्रास्फीति चैनल के माध्यम से वैश्विक समष्टि-अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, हालांकि संघर्ष के लंबे समय तक बढ़ने पर विकास पर भी असर पड़ने की संभावना है। गतिशील वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, सुरक्षा, तरलता और व्यवस्था में वापसी के इस माहौल ने निवेश उद्देश्यों के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) प्रबंधन के लिए बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) को मार्गदर्शित करना जारी रखा। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एफईआर में पिछले वर्ष की 20.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2021-22 के दौरान 5.3 प्रतिशत वृद्धि हुई।

X.56 सोने ने पारंपरिक रूप से आरक्षित निधि प्रबंधन में कई लाभ प्रदान किए हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट जोखिम न होना, पोर्टफोलियो का विविधीकरण, अन्य आस्ति वर्गों के साथ कम संबंध और वित्तीय चक्रों के विभिन्न चरणों के दौरान सुरक्षित निवेश (बॉक्स X.4)।

बॉक्स X.4
वित्तीय चक्र के विभिन्न चरणों में वित्तीय आस्ति के रूप में सोना

सोना वित्तीय संपत्ति के गुणों वाली एक अनूठी आस्ति है। सोना विविधिकरण का कार्य करता है और बाजार में तनाव की स्थिति में हानि को कम करने का एक साधन है। दीर्घावधि में सोने ने सकारात्मक प्रतिफल दिया है जो अक्सर अन्य प्रमुख परिसंपत्ति वर्गों (चार्ट 1) से बेहतर परिणाम देता है। अमेरिकी डॉलर और सोने की कीमत के बीच नकारात्मक संबंध के संदर्भ में, कई विश्लेषकों और शोधकर्ताओं के अवलोकन के अनुसार, पुक्थुएंथोंग एंड रोल (2011) ने यह दिखाया कि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में सोने की कीमत बढ़ जाती है जबकि अमेरिकी डॉलर का अन्य मुद्राओं के मुकाबले मूल्यह्रास होता है। उन्होंने आगे यह दिखाया कि डॉलर के संबंध में सोने के मूल्य की गिरावट हर देश में मुद्रा के मूल्यह्रास से जुड़ी हो सकती है।

वित्तीय चक्र का निर्माण वित्तीय प्रणाली में उत्पन्न होने वाले आर्थिक उतार-चढ़ाव के आधार पर किया जा सकता है। यह आम तौर पर अपनेआप को ऋण समुच्चयों और परिसंपत्ति की कीमतों के बीच सह-संचलन के रूप में व्यक्त करता है। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) ने वित्तीय चक्रों के अध्ययन में रुचि को पुन: प्रासंगिक बना दिया है। स्ट्रेममेल (2015) ने यूरोपीय वित्तीय चक्रों के प्रमुख घटकों की पहचान तकनीकों के निर्माण और विभिन्न वित्तीय संकेतकों जैसे ऋण समुच्चय, परिसंपत्ति की कीमतों और बैंकिंग क्षेत्र के चर के वैषम्य के रूप में की है। अभी हाल ही में पोटजागैलो और वोल्टर्स (2020) ने एक परिवर्ती समय गतिशील

चार्ट 1: स्वर्ण बनाम अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक प्रतिफल

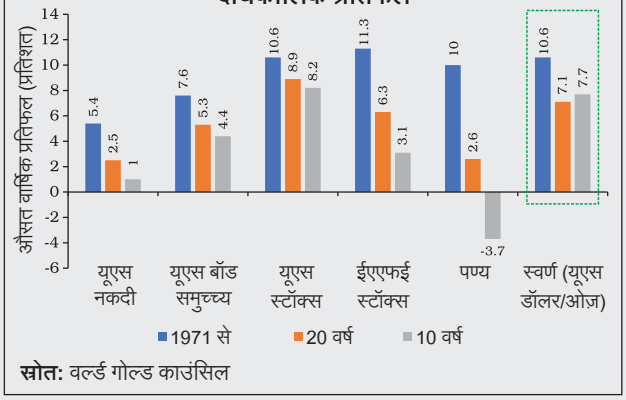

स्रोत: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल

(जारी)

कारक मॉडल का उपयोग 130 वर्षों में 17 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के ऋण, घर की कीमतों, इक्विटी कीमतों और ब्याज दरों में सह-संचरण का विश्लेषण करने के लिए किया। उन्होंने वित्तीय चरों के साथ-साथ विभिन्न मापों और आयामों के चर-विशिष्ट वैश्विक चक्रों में वैश्विक सह-संचरण का निरीक्षण किया है। वैश्विक चक्रों ने समय के साथ प्रासंगिकता प्राप्त की है। इक्विटी कीमतों के लिए वे अब अधिकांश देशों में उतार-चढ़ाव के मुख्य कारक हैं। ऋण और आवास के मामले में वैश्विक चक्र 1980 के दशक के बाद से बहुत अधिक सुस्पष्ट और दीर्घकालिक हो गए हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकता केवल आर्थिक रूप से खुली और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उप-समूह के लिए बढ़ी है।

वित्तीय चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान वित्तीय आस्ति के रूप में सोने के प्रदर्शन की जांच बैक्सटर-किंग फिल्टर और हार्डिंग और पैगन के साइकिल डेटिंग एल्गोरिदम के संयोजन का उपयोग करके की गई है। इसका उपयोग ऋण से जीडीपी और जीडीपी भारित इक्विटी सूचकांकों से वित्तीय चक्रों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। संपत्ति चक्र का निर्धारण करने के लिए, कीमतों में जीडीपी भारित प्रतिशत बदलाव को नकारात्मक और सकारात्मक अवधि के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष अलग किया गया था। उपरोक्त विधियों के उपयोग का उद्देश्य अध्ययन के लिए सार्थक चक्रों का निर्माण करना है। यह वित्तीय चक्रों के विभिन्न चरणों में सोने के प्रतिफल और व्याख्यात्मक चर के बीच संबंध को समझने में मदद करता है।

पहले के अध्ययनों और प्रयोगसिद्ध निष्कर्षों के अनुसार सोने की कीमत अमरीकी डालर के प्रदर्शन से प्रेरित होती है। निस्यंदित/छन्ने हुए क्रेडिट, इक्विटी और संपत्ति चक्र में आयाम और अवधि के संदर्भ में अद्वितीय विशेषताएं हैं जो वित्तीय बाजारों से अपेक्षित हैं। 21 वर्षों के एक उदाहरण में दोनों चक्र दो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय घटनाओं (2001 में बाजार की भारी गिरावट और 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट) से पहले चरम पर थे। हालांकि यह देखा गया कि ऋण चक्र से पहले इक्विटी चक्र चरम पर पहुंच जाता है। इसका कारण ऋण और इक्विटी बाजारों की प्रकृति से समझाया जा सकता है क्योंकि ऋण की वृद्धि और ह्रास की तुलना में इक्विटी सूचकांक के बदलाव में अधिक समय लगता है। दोनों चक्र वैश्विक वित्तीय संकट से पहले चरम पर पहुँचते हैं। इस अवलोकन को क्लासेन्स, कोस और टेरोन्स (2011) ने समर्थन दिया है कि ऋण और आवास बाजारों में उछाल के साथ होने वाली वसूली अपेक्षाकृत सुदृढ़ होती है। विभिन्न वित्तीय चक्रों के विभिन्न चरणों के अवलोकनों से पता चलता है कि यूएसडी को अधिक जोखिम बचाव प्रदान करने के अलावा अन्य परिसंपत्ति वर्गों के बीच एक सुरक्षित आस्ति के रूप में भी सोने के प्रदर्शन में वित्तीय चक्रों के हाल के चरणों में सुधार हुआ है।

संदर्भ:

1. क्लासेन्स, कोस और टेरोन्स (2011), "हाउ डू बिज़नेस एंड फायनेंशियल साइकिल्स इंटरैक्ट?'. *आईएमएफ वर्किंग पेपर,* आईएमएफ
2. पुक्थुएंथोंग, के. एंड रोल, आर (2011), 'गोल्ड एंड द डॉलर (एंड द यूरो, पाउंद एंड येन)', *जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फायनेंस,* 35(8), 2070-2083.
3. पोटजागैलो और वोल्टर्स (2020), 'ग्लोबल फायनेंशियल साइकिल्स सिंस 1880', *स्टाफ वर्किंग पेपर*, नं 867, बैंक ऑफ इंग्लैंड
4. रंजन, अनिकेत और नवीन कुमार (2022), 'परफार्मेंस ऑफ गोल्ड एज़ अ फायनेंशियल असेट ड्यूरिंग डिफ्फरेंट फेज़ेस ऑफ फायनेंशियल साइकिल्स', सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क (एसएसआरएन), मार्च
5. स्ट्रैममेल, एच.(2015), 'कैप्चरिंग द फायनेंशियल साइकिल इन यूरोप', *वर्किंग पेपर सीरिज़,* यूरोपियन सेंट्रल बैंक

X.57 एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) की 49वीं निदेशक मंडल की बैठक आभासी तौर पर 24 मई 2021 को हुई (अध्यक्ष: भारतीय रिजर्व बैंक) जिसमें एसीयू तंत्र में यूरो के उपयोग को फिर से शुरू करने, एसीयू प्लेटफॉर्म को विस्तारित और मजबूत करने के तरीकों, एसीयू तंत्र का उपयोग करने में निर्यातकों और आयातकों के सामने आने वाली समस्याएं, आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

X. 58 विविधीकरण नीति के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान स्वर्ण खरीदना जारी रखा। सुरक्षा और तरलता के प्राथमिक उद्देश्यों का पालन करते हुए विभाग ने विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) के परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों/क्षेत्राधिकारों की तलाश करके रिज़र्व के प्रभावी विविधीकरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को भी जारी रखा। वर्ष के दौरान नए शुरु किए गए उत्पादों जैसे विदेशी मुद्रा स्वैप और रेपो को बढ़ाने की प्रक्रिया भी जारी रही।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची

X.59 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एफसीए के परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों, नए क्षेत्राधिकारों/बाजारों का पता लगाना जारी रखना ताकि पोर्टफोलियो का विविधीकरण किया जा सके और इस प्रक्रिया के दौरान यदि आवश्यक

हो तो बाहरी विशेषज्ञों की सलाह का लाभ उठाना (पैरा. X.60);

- एफईआर प्रबंधन के लिए समकालीन ट्रेजरी प्रबंधन समाधान के रूप में आईटी का लाभ उठाना (*उत्कर्ष*) [पैरा. X.61]; और
- आस्तियों के लिए भारित औसत लागत की प्रणाली आधारित दैनिक गणना प्रारंभ करना (पैराग्राफ X.62)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.60 विभाग ने सुरक्षा और तरलता के प्राथमिक उद्देश्यों का पालन करते हुए एफसीए के परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों/क्षेत्राधिकारों की तलाश करके आरक्षित निधियों के प्रभावी विविधीकरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास जारी रखे। नए शुरु किए गए उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया वर्ष के दौरान जारी रही।

X.61 विभाग ने एक नया ट्रेजरी एप्लिकेशन लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसे 2022-23 के दौरान लाइव करने का लक्ष्य रखा गया है।

X.62 वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियों के लिए भारित औसत लागत की प्रणाली-आधारित दैनिक गणना को विकसित किया गया और 1 अप्रैल 2022 से कार्यान्वित किया गया।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

X.63 वर्ष 2022-23 के लिए विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- विदेशी मुद्रा भंडार का प्रभावी परिनियोजन सुनिश्चित करने के लिए विभाग एफसीए की सुरक्षा और तरलता सुनिश्चित करते हुए नए उत्पादों/अवसरों का पता लगाना जारी रखेगा।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.64 अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के साथ रिजर्व बैंक एक ज्ञान केंद्र होने के कारण आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) रिज़र्व बैंक के नीति निर्माण के लिए अनुसंधान-आधारित जानकारी और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) सेवाएं प्रदान करता है। विभाग विभिन्न आर्थिक विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के प्राथमिक आंकड़े तैयार करता है, रिजर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टें तैयार करता है, कई शोध प्रकाशन प्रकाशित है, विभिन्न परिचालन विभागों एवं और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर गठित तकनीकी समूहों/समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और बाहरी विशेषज्ञों के साथ सहयोगपूर्ण नीति-उन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देता है। विभाग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों पर गौण डेटा का प्रमुख भंडार और उसका प्रसारक भी है।

X.65 कोविड -19 उचित व्यवहार और सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन करते हुए विभाग ने नीतिगत उपायों के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं और विश्लेषणात्मक जानकारी समय पर प्रदान कीं। अनुसंधान और विश्लेषण से संबंधित कार्य बिना किसी व्यवधान के जारी रहे और सभी शोध-संबंधी प्रकाशन भी समय पर प्रकाशित किए गए। केंद्रीय पुस्तकालय ने अनुसंधान के लिए आवश्यक विभिन्न डेटाबेस और अन्य संदर्भ संसाधनों के लिए निर्बाध दूरस्थ पहुंच की सुविधा प्रदान की। विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मंचों पर कई ज्ञान साझा करने के सत्र भी आयोजित किए।

वर्ष 2021-22 की कार्यसूची

X.66 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के आवसरिक पत्रों और वर्किंग पेपर्स में प्रकाशन के लिए शोध अध्ययनों की संख्या में वृद्धि *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.67];
- बिग डेटा एपलिकेशनों के माध्यम से समाचार-पत्र में प्रकाशन के आधार पर भविष्योन्मुखी कृषि पण्यों की कीमतों के रुझान का विश्लेषण *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.68];

- केएलईएमएस [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाओं (एस)] परियोजना के तहत डेटा संकलन के लिए एक आंतरिक विशेषज्ञता का विकास(पैरा.X.69); और
- कोलकाता में रिज़र्व बैंक संग्रहालय की पहली मंजिल पर एक चल अभिलेखागार प्रदर्शनी का आयोजन (पैरा.X.70)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.67 वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग ने 67 शोध पत्र/लेख प्रकाशित किए जिनमें से 20 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इसके अलावा वर्ष के दौरान आरबीआई के 10 वर्किंग पेपर और आरबीआई के आवसरिक पत्रों में आठ पेपर प्रकाशित किए गए। प्रकाशित पत्रों में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी जैसे भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र के लीवरेज और निवेश की गतिशीलता; बैंक पूंजी विनियमों के व्यापक आर्थिक निहितार्थ; शिक्षा ऋण एनपीए; मुख्य मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाना; दीर्घकालीन बचत-निवेश संबंध; मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाने के लिए मांग आपूर्ति बेमेल सूचकांक को मापना; गैर सुपुर्दगी अग्रेषण (एनडीएफ) बाजार : जलवायु परिवर्तन; भारत के बाह्य वाणिज्यिक लेनदारी के निर्धारक; ऋण चूक का सामना कर रहे बैंकों के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएँ; मुद्रास्फीति पूर्वानुमान मॉडल का कार्यनिष्पादन और मौद्रिक स्थिति सूचकांक के दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति का प्रसार।

X.68 नौ प्रमुख अंग्रेजी दैनिकों में कृषि पण्यों पर प्रकाशित समाचार के आधार पर तीन सब्जियों टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के लिए टेक्स्ट माइनिंग तकनीकों का उपयोग करके मूल्य भावनात्मक सूचकांकों का पण्यवार निर्माण किया गया था क्योंकि इन तीनों सब्जियों की कीमतों में अस्थिरता का शीर्ष महंगाई पर काफी असर पड़ता है। परिणामों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में टॉप की कीमतों के उतार-चढ़ाव के बारे में भविष्योन्मुखी जानकारी प्रदान करने में समाचार आधारित भावना की उपयोगिता की पुष्टि की।

X.69 विभाग ने केएलईएमएस आकलनों के आंतरिक संकलन के लिए एक नया केएलईएमएस डिवीजन बनाया। केएलईएमएस डेटाबेस भारतीय अर्थव्यवस्था और 27 उप-क्षेत्रों के लिए कुल कारक उत्पादकता और कारक इनपुट [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)] पर श्रृंखलाबद्ध सामयिक आकलन प्रदान करता है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाहरी विशेषज्ञों से केएलईएमएस डिवीजन में ज्ञान का अंतरण वर्ष के दौरान पूरा हुआ। वर्ष 2018-19 के लिए केएलईएमएस के समानांतर आकलन को प्रभाग ने सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके बाद केएलईएमएस डेटा को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।

X.70 आरबीआई अभिलेखागार ने प्रासंगिक अभिलेखीय दस्तावेजों की पहचान की और भ्रमणकारी आरबीआई अभिलेखागार प्रदर्शनी के लिए एक कथानक तैयार किया।

अन्य पहल

X.71 विभाग ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया जिसमें नवोन्मेषी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया गया। एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करते हुए जीडीपी नाउकास्टिंग को संकेतकों के सबसे प्रासंगिक श्रृंखलाओं के साथ संवर्धित किया गया था और इस मॉडल का उपयोग अब हाल की तिमाहियों के जीडीपी को नाउकास्ट करने के लिए किया जा रहा है।

X.72 महामारी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने महामारी से संबंधित कुछ विषयों पर भी शोध किया जिसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर प्रभाव शामिल है। इसके अलावा विभिन्न सामयिक विषयों पर शोध किए गए जिसमें व्यापार चक्र के नीचे की ओर जाने के दौरान बैंक क्रेडिट के कुल व्यापार पर प्रणालीगत चलनिधि और सकल एनपीए (जीएनपीए) की भूमिका और विकास पर सरकारी खर्च की गुणवत्ता और मात्रा का प्रभाव शामिल है।

X.73 घरेलू वित्तीय बचत के वार्षिक अनुमानों के नियमित संकलन के अलावा तिमाही घरेलू वित्तीय बचत और घरेलू

ऋण से जीडीपी अनुपात के आंकड़े भी संकलित किए गए और 2020-21 की तीसरी तिमाही तक जारी किए गए।

X.74 भारत द्वारा ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता के दौरान आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह के सदस्य के रूप में विभाग ने सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर सेवा व्यापार सांख्यिकी पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया।

X.75 विभाग ने 2021-22 में भारत के आवक विप्रेषणों पर अपना सर्वेक्षण शुरू किया ताकि 2020-21 में विप्रेषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझा जा सके, जिसमें स्रोत, गंतव्य, आवक विप्रेषण का उद्देश्य, आकार, अंतरण का प्रचलित तरीका और प्रापक/प्रेषक को विप्रेषण की लागत शामिल हैं।

X.76 वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने के अलावा विभाग ने अपने सभी प्रमुख प्रकाशनों को भी समयबद्ध तरीके से जारी किया जैसे वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट और राज्य वित्त: 2021-22 के बजट का अध्ययन। मुद्रा और वित्त 2021-22 पर रिपोर्ट, 'रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट' विषय के साथ 29 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक डोमेन में जारी की गई। वर्ष 1997 से 2008 तक की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक का इतिहास, खंड -5 का 2022 में जारी किया जाना अपेक्षित है।

X.77 इसके अलावा वर्ष के दौरान मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन, बाहरी ऋण, प्रभावी विनिमय दर, संयुक्त सरकारी वित्त, घरेलू वित्तीय बचत और निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता मानकों पर निधि के प्रवाह पर प्राथमिक आंकड़ों के संकलन और प्रसार में विभाग संलग्न रहा।

X.78 डीईपीआर अध्ययन मंच एक आंतरिक चर्चा मंच है जिसने विविध शोध विषयों पर वर्ष के दौरान 26 ऑनलाइन सेमिनार/प्रस्तुतिकरण आयोजित किए। विभाग ने 28 जून 2021 को उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और मुद्रास्फीति पर एक डीईपीआर संगोष्ठी का आयोजन भी किया और 16 नवंबर 2021 को नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक, डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा "टेपरिंग तब और अब" पर एक विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन किया।

X.79 भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) को दस्तावेज़ प्रबंधन सॉफ़्टवेयर (डीएमएस) विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। डीएमएस सॉफ्टवेयर के कार्यात्मक मॉड्यूल को पूरा कर लिया गया है और एपलिकेशन के समग्र सुरक्षा पहलू पर काम चल रहा है। डीएमएस का परीक्षण अप्रैल 2022 में शुरु किया गया था। अगस्त 2022 तक उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण पूरा होने की उम्मीद है जिसके बाद डीएमएस को चालू किया जा सकेगा। आरबीआई अभिलेखागार (आरबीआईए) ने 2021-22 के दौरान केंद्रीय कार्यालय विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के लिए अभिलेख प्रबंधन पर लगभग 16 ऑनलाइन अनुकूलित कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। ई-निविदा प्रक्रिया के आधार पर प्रति वर्ष अभिलेखीय दस्तावेज़ों (आरबीआईए में रखे गए) के 5 लाख पृष्ठों के डिजिटलीकरण के लिए निविदा प्रदान की गई है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक 15 लाख पृष्ठों के डिजिटलीकरण को पूरा करने का प्रस्ताव है। कागजी दस्तावेजों के वैज्ञानिक संरक्षण को भी आरबीआईए द्वारा आउटसोर्स किया गया है।

वर्ष 2022-23 की कार्यसूची

X.80 विभाग की 2022-23 की कार्यसूची निम्नलिखित लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगी:

- प्रति वर्ष न्यूनतम 100 शोध पत्र प्रकाशित करना और उभरते मुद्दों के व्यापक कवरेज के साथ विश्लेषण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना *(उत्कर्ष)*;
- नगरपालिका वित्त रिपोर्ट को समय पर बनाना और रिपोर्ट की कवरेज में सुधार करना *(उत्कर्ष)*;

- विभाग द्वारा केएलईएमएस डेटासेट और मैनुअल का वार्षिक संकलन *(उत्कर्ष)*;
- समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए नई मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग और
- पारंपरिक मैक्रो-मॉडलिंग संरचना में जलवायु जोखिम को शामिल करना और मैक्रोइकॉनॉमिक समुच्चय पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.81 अपने मूल अधिदेश को ध्यान में रखते हुए सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) समष्टि-वित्तीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रसार में संलग्न है और रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों में डेटा प्रबंधन, अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय अनुसंधान और प्रगामी सर्वेक्षणों के माध्यम से सांख्यिकीय समर्थन और विश्लेषणात्मक जानकारी भी प्रदान करता है। ऐसे प्रयासों से यह रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत सूचना प्रणाली को बनाए रखता है, विनियामक संस्थाओं द्वारा विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति का प्रबंधन करता है और बैंकिंग, कॉर्पोरेट और बाहरी क्षेत्रों में सांख्यिकीय संकेतकों को संकलित करता है। इन कार्यों की दक्षता और प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए समुन्नत डाटा वेयरहाउस [अर्थात केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस)] का विकास उन्नत चरण में है। गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों और उन्नत सांख्यिकीय एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) / मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का उपयोग करने की पहल की गई है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची

X.82 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- सीआईएमएस को पूरी तरह से चालू करने और सभी डेटाबेस को नई केंद्रीकृत प्रणाली *(उत्कर्ष)* में अंतरित करने की दिशा में काम करना करना [पैरा.X.83];
- मेटाडेटा-संचालित रखरखाव और प्रसार प्रणाली के लिए स्टटिस्टिकल डेटा एंड मेटाडेटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स) मानकों का पालन करना *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.84];
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) के लिए एक मापने योग्य एंड टू एंड तक का सिस्टम लागू करना [*उत्कर्ष*] (पैरा.X.85);
- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली को संशोधित करना [पैरा.86];
- रिज़र्व बैंक से संबंधित पूरक सूचना प्रदान करने के लिए बिग डेटा के क्षेत्र में डेटा संग्रह तंत्र और विश्लेषणात्मक कार्य के दायरे का विस्तार करना (पैरा.X.87) और
- अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन के आर्थिक वर्गीकरण पर मासिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना (पैरा.X.88)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.83 महामारी की लगातार लहरों से संबंधित रोकथाम के उपायों के कारण हुई देरी के बावजूद सीआईएमएस के लिए सभी आधारभूत संरचना की स्थापना (यानी हार्डवेयर और मानक सॉफ्टवेयर) को पूरा कर लिया गया। नए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) किया जा रहा है। सभी मौजूदा डेटा अंतरित किए गए हैं और वे तृतीय पक्ष संपरीक्षा के अधीन हैं। सभी एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और 14 प्रमुख सहकारी बैंक ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में हैं। सितंबर 2022 तक सभी विवरणों को पूरा करने के उद्देश्य से अधिकांश विवरण रिजर्व बैंक के परीक्षण वातावरण के तहत आ गए हैं।

X.84 मेटाडेटा-संचालित रखरखाव और प्रसार प्रणालियों के लिए 245 विवरणों में एसडीएमएक्स मानकों हेतु डेटा तत्वों / आयामों / उपायों / विशेषताओं को अंतिम रूप दिया गया है।

X.85 भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं (आईएफटीएएस) के डेटा सेंटर और आपदा बहाली (डीआर) साइटों पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेट-अप का इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया गया है। प्रणाली की अपेक्षाओं का अध्ययन (एसआरएस) किया गया है और एक व्यापक ऋण सूचना भंडार का सिस्टम डिजाइन और विकास का कार्य प्रगति पर है।

X.86 बीआईएस द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर आईबीएस के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली में संशोधित दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए परिवर्तन किया जा रहा है।

X.87 *उत्कर्ष* 2022 के तहत कवर किए गए बिग डेटा के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक गतिविधियों को पूरा किया गया और मौजूदा सांख्यिकीय प्रयासों के सार्थक करने के लिए मूल्य सूचकांक (खाद्य और आवास) का संकलन नियमित आधार पर किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग आधारित जलवायु कारकों और फसल वनस्पति संकेतकों का उपयोग मंडी आवक और खाद्य मूल्य अनुमानों के मॉडलिंग के लिए किया गया है (बॉक्स X.5)।

बॉक्स X.5

कृषि पण्यों के आकलन के लिए सैटलाइट चित्र और रिमोट सेंसिंग डेटा

पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कृत्रिम उपग्रहों का समूह भारी मात्रा में डेटा एकत्र करता है, जो कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधनों की समझ, मौसम की निगरानी, फसल कवरेज, बायोमास घनत्व तथा फसल की पैदावार का आकलन और भूजल और उर्वरकों के कुशल उपयोग के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।

तदनुसार भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ प्राप्त की जा सकती है यदि उपग्रह-आधारित सूचनाओं का मिलान किया जाए (ए) देश भर की मंडियों से एकत्रित कृषि पण्यों के के थोक मूल्यों के विभिन्न सेटों, (बी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि विपणन पोर्टल (www.agmarknet.gov.in) पर उपलब्ध क्रियाभाव कीमतें, मूल्य श्रेणियां, मंडी रुपरेखा और दैनिक आवक तथा (सी) स्थानिक और सामयिक वर्षा से। इस बॉक्स में भारतीय उपभोक्ता की टोकरी में से दो व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मूल्य संवेदनशील कृषि पण्यों, अर्थात तुअर (या अरहर) दाल और प्याज की कीमत की गतिशीलता प्रस्तुत है।

तुअर दाल

तीन प्रमुख उत्पादन राज्यों (अर्थात कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) के लिए तालुक/तहसील स्तर पर मंडियों से दैनिक आवक के डेटा की सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (एनडीवीआई) के साथ तुलना की जाती है जिसमें 2015-16 से 2019-20 तक पांच साल की अवधि के दौरान कुल उत्पादन में इसकी 63 प्रतिशत औसत हिस्सेदारी रही है। । सामयिक सिग्नेचरों पर उचित ध्यान दिया जाता है क्योंकि जैसे-जैसे फसल का मौसम आगे बढ़ता है फसल-विशिष्ट ऋतु जैविकी/ फेनोलॉजी(यानी बुवाई से लेकर कटाई तक के जीवन चक्र के दौरान फसल का विकास) में परिवर्तन होता है। वनस्पति वृद्धि उपयुक्त मौसमी फ़िल्टरिंग और एनडीवीआई के सामयिक समुच्च्य द्वारा प्राप्त की जाती है। आवक वृद्धि को उगने वाले मौसम के पखवाड़े में हुई वनस्पति वृद्धि के एक फलन के रूप में तैयार किया गया है। मंडी आवक पर वनस्पति वृद्धि के प्रभाव का अनुमान गतिशील रूप से लगाया गया है और गुणांक चार्ट 1 में प्रस्तुत किया गया है।

प्याज

एशिया का सबसे बड़ा प्याज बाजार माने जानेवाले लासलगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र से ली गई मंडी की कीमतों का इस्तेमाल मौसम के मापदंडों के साथ एक प्रारंभिक उपयोग के रूप में किया गया है जिससे उच्च कीमत (25 प्रतिशत और उससे अधिक की वृद्धि) घटनाओं और पृथ्वी की सतह से दो मीटर ऊपर की ओस के तापमान के बीच संबंध निर्धारित कर सकें (चार्ट 2)। चार्ट में बिन की ऊंचाई का संबंध संबंधित

चार्ट 1: वनस्पति वृद्धि का आवक वृद्धि पर प्रभाव

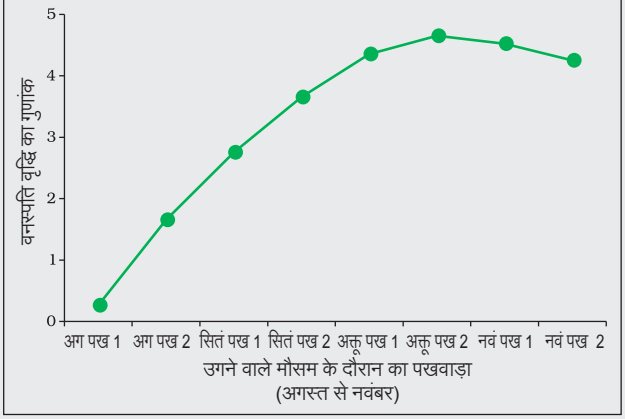

(जारी)

चार्ट 2: प्याज की मूल्य वृद्धि के साथ ओस का तापमान (पृथ्वी की सतह से 2 मीटर ऊपर)

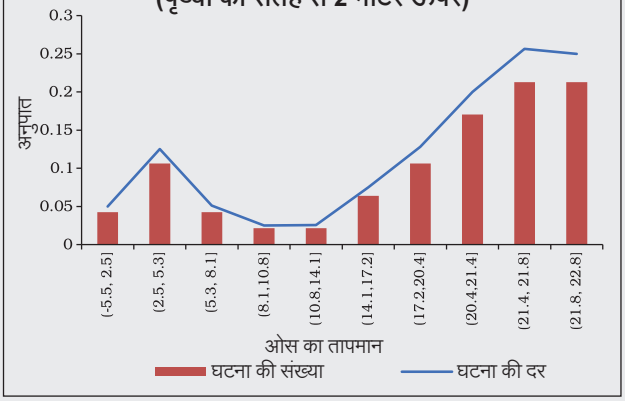

चार्ट 3: मूल्य वृद्धि बनाम पवन की गति (पृथ्वी की सतह से 50 मीटर ऊपर)

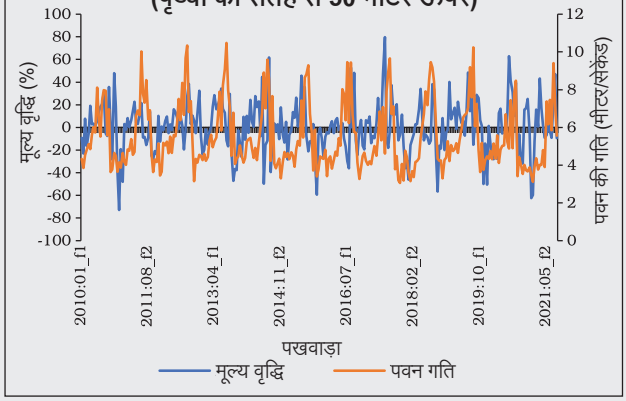

1. चार्ट 2 में, घटना घटना अंतराल में उच्च मूल्य की घटनाओं के एक भाग के रूप में है। घटना दर उस वर्ग अंतराल में घटनाओं और गैर-घटनाओं की संख्या से विभाजित घटनाओं की संख्या है।
2. चार्ट 1 और 3 में, f1 और f2 क्रमशः महीने के पहले और दूसरे पखवाड़े को दर्शाते हैं। चार्ट 3 में 01 का अर्थ जनवरी, 02 का अर्थ फरवरी आदि है।
3. चार्ट 2 में ओस के तापमान को दस अंतरालों में बांटा गया है। अंतराल (ए, बी] का अर्थ है ए से बड़ा और बी से कम या बराबर। उदाहरण के लिए, (2.5, 5.3] में 2.5 से अधिक और 5.3 से कम या उसके बराबर का मान।

ओस तापमान श्रृंखला में उच्च मूल्य की घटनाओं के अनुपात से मेल खाती है। उच्चतर घटना दर उच्चतर ओस तापमान के साथ जुड़ी हुई पाई गई है और पखवाड़े वार प्याज की कीमत में वृद्धि पृथ्वी की सतह से 50 मीटर ऊपर पवन की गति के साथ सह-संचलन को दर्शाती है (चार्ट 3)।

मौसम के मापदंडों और मूल्य की गतिशीलता के बीच जटिल गैर-रेखीय संबंधों को देखते हुए इस विश्लेषण से पता चलता है कि मशीन लर्निंग तकनीक (जैसे, यादृच्छिक वन) में पारंपरिक सांख्यिकीय विधियों की तुलना में अधिक पूर्वानुमान की क्षमता हो सकती है।

संदर्भ:

1. नवालगुंड, आर. आर; और रे, एस.एस. (2019), 'एपलिकेशन ऑफ स्पेस टेकनोलॉजी इन एग्रीकल्चर : एन ओवरव्यू', *स्मार्ट एग्रीपोस्ट,* 6(6), 611.
2. रे, एस.एस.(2016), 'क्रॉप असेसमेंट यूजिंग स्पेस, एग्रो-मीटीयरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशनस्: इंडियन एक्सपीरियंस', *इंटरनेशनल सेमिनार ऑन अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजिस फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन फॉरकास्टिंग* (पीपी. 25-26).

X.88 भुगतान संतुलन (बीओपी) पोर्टल पर "विदेशी मुद्रा कारोबार इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली - कार्ड (एफईटीईआरएस -कार्ड)" नामक एक नई प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट / डेबिट कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों पर आर्थिक गतिविधि के अनुसार मासिक डेटा एकत्र करने के लिए लागू किया गया था। सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक अप्रैल 2021 से ऐसे लेनदेन को रिपोर्ट कर रहे हैं।

अन्य पहल

X.89 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न परिचालनात्मक चुनौतियों के बावजूद विभाग ने उद्यमों, घरेलू और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के प्रगामी द्विमासिक / त्रैमासिक सर्वेक्षणों की समयसीमा का पालन किया। केंद्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अल्प सूचना पर कई तदर्थ सर्वेक्षण भी किए गए। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक की सर्वेक्षण में तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में अनुमानों, कवरेज की मजबूती और नियमित मौद्रिक नीति सर्वेक्षणों में कोड संरेखित करने के लिए पद्धतिगत सुधार भी किए गए [उदाहरण के लिए औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस) में उत्पाद/उद्योग कोड और सेवा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण सर्वेक्षण (एसआईओएस) में व्यवसाय / गतिविधि कोड की प्रकृति से लेकर उद्योग मानक वर्गीकरण तक, क्रयादेश पुस्तक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के तहत अनुमान लगाना]।

X.90 विभाग ने बाहरी क्षेत्र की जनगणना/सर्वेकणों के परिणाम जारी करने के समय अंतराल को भी कम किया [अर्थात भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संस्थाओं की विदेशी आस्तियों और आस्तियों (एफएलए) पर वार्षिक जनगणना, म्यूचुअल फंड कंपनियों के एफएलए सर्वेक्षण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) के निर्यात पर सर्वेक्षण और भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण]।

X.91 कोविड-19 प्रवृत्त परिचालनात्मक चुनौतियों के बावजूद रिज़र्व बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध तरीके से सभी नियमित डेटा प्रकाशन जारी किए गए और अद्यतन काल क्रमिक डेटा उपलब्ध कराया गया। विभाग बीआईएस डेटाबैंक को नियमित रूप से अनुसूची के अनुसार विभिन्न आवधिकताओं (अर्थात दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक) की लगभग 175 डेटा शृंखला प्रस्तुत करता है।

X.92 इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल (ईडीएसपी) को (i) भुगतान धोखाधड़ी रजिस्टर; (ii) प्राकृतिक आपदा विवरण; (iii) परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच) के लिए इकाई-स्तरीय डेटा और (iv) आस्ति मूल्य निगरानी प्रणाली (एपीएमएस) तक विस्तारित किया गया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित ऑफसाइट मॉनिटरिंग विवरण को स्वचालित कर दिया गया है और विवरण जमा करने की प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। कोविड -19 महामारी के दौरान उपयोगकर्ता विभागों के लिए अतिरिक्त निगरानी सुविधा प्रदान करके डेटा प्रबंधन और निष्कर्षण सुविधा को बढ़ाया गया है।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

X.93 आगे चलकर विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- उन्नत विश्लेषणात्मक वातावरण में सभी एकीकरण को पूरा करना और समुन्नत डेटा वेयरहाउस में सभी नियमित डेटा प्रकाशनों के प्रकाशन के कार्यप्रवाह को स्वचालित करना*(उत्कर्ष)*;
- एससीबी से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से व्यापक ऋण सूचना भंडार को तैयार करना*(उत्कर्ष)*;
- संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग करके विवरण-आधारित भंडार (आरबीआर) से परिवर्तित करने की सुविधा के साथ लचीले तत्व-आधारित भंडार (ईबीआर) के माध्यम से नए डेटा शासन ढांचे का कार्यान्वयन;
- रिज़र्व बैंक को किए जाने वाले डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए बैंकों और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं की सहायता करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक 'विनियामक रिपोर्टिंग' लिंक बनाए रखना जिसमें सभी संसाधन और सत्यापन नियम दिए गए हों;
- टीएसीएस के मार्गदर्शन में मौद्रिक नीति सर्वेक्षणों के लिए आकलन प्रक्रियाओं का और परिशोधन करना; और
- रिज़र्व बैंक से संबंधित क्षेत्रों में उपग्रह डेटा सहित डेटा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना और बिग डेटा और एमएल तकनीकों सहित उन्नत सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करना।

8. विधिक मामले

X.94 विधि विभाग एक सलाहकार विभाग है जिसकी स्थापना कानूनी मामलों की जांच करने एवं सलाह देने और रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की सुविधा के लिए की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिज़र्व बैंक के निर्णय विधिक रूप से सही हैं, विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के लिए परिपत्रों, निर्देशों, विनियमों और समझौतों की समीक्षा करता है। विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय के रूप में भी

कार्य करता है और परिचालन विभागों की सहायता से केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) और अन्य आरबीआई के स्वामित्व वाले संस्थानों को कानूनी मामलों, मुकदमों और अदालती मामलों पर विधिक सहायता और सलाह देता है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची

X.95 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए :

- रिजर्व बैंक के परिचालन विभागों के साथ निकट समन्वय में अपने कार्यों को सक्रिय रूप से निष्पादित करना (पैरा.X.96) और
- विधिक प्रक्रियाओं में, विशेषकर कोविड-19 की महामारी जैसी स्थिति में, प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अपनी कार्यप्रवाह प्रक्रिया और कार्यकलाप को स्वचालित करने के प्रयास करना(पैरा.X.97)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.96 वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधान/विनियम लाए गए/संशोधित किए गए, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है यह अधिनियम राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को भारत में आधारभूत संरचना के वित्तपोषण का समर्थन देने के लिए प्रधान विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित करता है। ।
- फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021, जिसे 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 23 अगस्त 2021 से लागू हुआ, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन करता है। संशोधित अधिनियम 'प्राप्तियों(रिसीवेबल्स)' की परिभाषा को सरल करता है और 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' को रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 के तहत व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के उद्देश्य से अधिकृत भुगतान प्रणाली की परिभाषा से जोड़ता है।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 को 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुआ। यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में संशोधन करता है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए दिवाला समाधान में एक विकल्प प्रक्रिया के लिए प्रावधान करता है जिसे प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (पीआईआरपी) कहा जाता है।
- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 को 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। अधिनियम 27 अगस्त 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत बीमाकृत बैंकों के लिए 1 सितंबर 2021 से लागू हुआ था। उक्त अधिनियम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करता है और अधिनियम में एक नई धारा 18A को शामिल करता है।

X.97 विभाग की गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाने से संबंधित कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) को सौंपा गया है। इस संबंध में सॉफ्टवेयर का विकास उन्नत चरणों में है और सॉफ्टवेयर को जल्द ही विभाग की गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

X. 98 वर्ष 2022-23 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना जारी रखेगा :

- कार्यप्रवाह को स्वचालित करने की प्रक्रिया के लिए एपलिकेशन के कार्यान्वयन को पूरा करना*(उत्कर्ष);*
- मौजूदा अभिमत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली और अभियोग प्रबंधन प्रणाली का विलय*(उत्कर्ष)* और
- उपलब्ध/मौजूदा विधिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण और उपयोगकर्ताओं को इनतक पहुंच प्रदान करना।

9. निष्कर्ष

X.99 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने सोशल मीडिया और जन जागरूकता अभियानों सहित कई चैनलों के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के अपने प्रयास को जारी रखा। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों को गहरा और मजबूत किया गया। रिज़र्व बैंक भारत की हरित वित्तीय प्रणाली को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत एनजीएफएस में शामिल हुआ। आगे बढ़ते हुए, इस अध्याय में शामिल कार्यात्मक क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना होगा: इंस्टाग्राम जैसे अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता के साथ और अधिक जुड़ना; आर्थिक और वित्तीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और मजबूत करना; प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित प्राप्तियों और एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग के लिए ई-रसीदों के लिए ई-कुबेर के साथ राज्य सरकारों का एकीकरण; विदेशी मुद्रा आरक्षित प्रबंधन के लिए नए आस्ति वर्गों/बाजारों के माध्यम से पोर्टफोलियो विविधीकरण की तलाश जारी रखना; आर्थिक और सांख्यिकीय नीति विश्लेषण और अनुसंधान को प्रखर करना; रिज़र्व बैंक से संबंधित क्षेत्रों में उपग्रह डेटा सहित डेटा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना और विश्लेषणात्मक अध्ययनों में एआई, बिग डेटा और एमएल तकनीकों सहित उन्नत सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करना।